बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 14/9/2020

सं0सं0–प्र0–01–ल0ख0(ब्रिक)–42/20–2645**/एम0,** खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। –**(1) यह नियमावली बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अध्याय–VIII नियम–38 (3) में संशोधन।** -उक्त नियमावली में अध्याय–VIII के नियम–38 के उपनियम (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–
   "38(3) ईंट मिट्टी के लिए खनन क्रिया परमिट दिया जाना–किसी आवेदक द्वारा खनन पदाधिकारी को आवेदन दिए जाने और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उत्सर्जन सहमति आदेश तथा इस नियमावली की अनुसूची–III 'ख' के अनुसार रॉयलिटी की समेकित राशि के साथ साथ इस नियमावली के नियम 34 में यथा विहित अपेक्षित दस्तावेजों को सुपूर्द करने पर वे अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर किसी विनिर्दिष्ट भूमि से किसी विशिष्ट ईंट मौसम के लिए किसी ईट भट्ठा के संबंध में उत्खनन एवं ईंट मिट्टी हटाने के लिए प्रपत्र 'घ' में खनन क्रिया परमिट दे सकेगा।

   परंतु ईंट भट्ठा के उद्देश्य से ईंट मिट्टी के उत्खनन को खनन गतिविधि नहीं मानी जाएगी, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, यदि खनन की गहराई समीपवर्ती जमीन स्तर से डेढ़ मीटर से अधिक नहीं हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुशील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–01–ल0ख0(ब्रिक)–42/20–2645/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक–प्र0–01–ल0ख0(ब्रिक)–42/20–2645/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपिः–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2020 में मद संख्या–13 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–01–ल0ख0(ब्रिक)–42/20–2645/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–01–ल0ख0(ब्रिक)–42/20–2645/एम0, पटना, दिनांक 14/9/2020
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृष्णा
14/9/2020

14/9/2020
सरकार के अवर सचिव।